संख्या-106/2020/2170/26-3-2020-1(17)/2020

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक: 31 अगस्त 2020

विषय: **समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों (ए0टी0एस0) में अग्निशमन हेतु फायर अलार्म एवं फायर हाइड्रेण्ट सिस्टम के कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-865/स0क0/आ0प0वि0- प्रकोष्ठ (153)/फायर अलार्म सिस्टम/2020-21 दिनांक 20 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में फायर अलार्म एवं फायर हाइड्रेण्ट के कार्य हेतु स्वीकृत अवशेष धनराशि रू0-799.54 लाख के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-134/2019/2263/26-3-2019, दिनांक-31.05.2019 द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में फायर अलार्म एवं फायर हाइडेण्ट सिस्टम लगाये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि रू0-1484.86 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-799.54 लाख को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में फायर अलार्म एवं फायर हाइडेण्ट सिस्टम लगाये जाने के कार्य को पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ को तत्काल आवंटित करने का कष्ट करें।

भवदीय

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-106/2020/2170 (1)/26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल आॅडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9-महाप्रबंधक, उत्तर प्रदेश प्राजेक्ट कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई-42, गोमती नगर, लखनऊ।
10-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in